

# International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845  
ISSN Online: 2664-9853  
Impact Factor: RJIF 8.42  
IJSSER 2025; 7(2): 1030-1032  
[www.socialsciencejournals.net](http://www.socialsciencejournals.net)  
Received: 01-09-2025  
Accepted: 06-10-2025

Prashant Ranjan Dutt  
Assistant Professor, Teachers'  
Training College, Bhagalpur,  
Affiliated to Tilka Manjhi  
Bhagalpur University,  
Bhagalpur, Bihar, India

## विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मनो-सामाजिक समस्याएँ और उसका प्रबंधन

Prashant Ranjan Dutt

DOI: <https://doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i2m.472>

### सारांश

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो देश की कुल आबादी 2.21% है हालाँकि विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी एक अनुमान में देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई गई है। बच्चे दो प्रकार के हैं – सामान्य और दिव्यांग अर्थात् विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सामान्य बच्चों सभी कार्य आसानी से करते हैं इसके विपरित दिव्यांग बच्चों अपने छमता के अनुरूप कार्य करते हैं। दिव्यांग बच्चों को जीवन में कई प्रकार के मनोसामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का प्रभाव माता पिता, बच्चों पर भी पड़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मानसिक तनाव, हीन भावना, शैक्षिक समस्या, भेदभाव, व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक अलगाव, व्यवहार सम्बन्धी कठिनाईयों, दैनिक जीवन की समस्याओं इत्यादि का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिये कई साराहनीय पहलों की शुरुआत की गई है। समुदाय-आधारित पुनर्वास (CBR) दृष्टिकोण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण है। दिव्यांग या डिफरेंटल एबल्ड' जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करे।

**कूटशब्द:** सामान्य और दिव्यांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, मनोसामाजिक समस्या, समुदाय-आधारित पुनर्वास, सुगम्य भारत अभियान, 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

### प्रस्तावना

सभी बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे स्वभाव से चंचल, तेजस्वी, क्रियाशील होते हैं। बच्चे कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य करके लोगों को आकर्षित किया जाये तथा समाज, समुदाय, परिवार तथा दोस्तों के मध्य अपनी अलग पहचान बनाई जाये। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की जाएँ तो सोच में बदलाव लाना होगा। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। कुछ बच्चे किसी तथ्यों को शीघ्रता से सीखते हैं कुछ धीरे धीरे, सभी में विभिन्नताएँ पाई जाती हैं।

बच्चे दो प्रकार के हैं – सामान्य और दिव्यांग अर्थात् विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। सामान्य बच्चे सभी कार्य आसानी से करते हैं इसके विपरित दिव्यांग बच्चों अपने छमता के अनुरूप कार्य करते हैं। दिव्यांग बच्चों को जीवन में कई प्रकार के मनोसामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का प्रभाव माता पिता, बच्चों पर भी पड़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मानसिक तनाव, हीन भावना, शैक्षिक समस्या, भेदभाव, व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक अलगाव, व्यवहार सम्बन्धी कठिनाईयों, दैनिक जीवन की समस्याओं इत्यादि का सामना करना पड़ता है।

### दिव्यांग बच्चों का मनोविज्ञान

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मन में क्या सोच चल रही है? यह समझना जरूरी है। यह जानने के लिए माता पिता, शिक्षक को दिव्यांग बाल मनोविज्ञान को समझना होगा। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता तथा जीवन से सम्बंधित सुविधा उन्हें क्या चाहिए यह जानना होगा। जब आप दिव्यांग मन को समझ लेंगे तभी आप उनके लिए ठीक से कार्य कर पायेंगे। दिव्यांग बच्चों की मनोसामाजिक सोच को बढ़ाना तथा उसका विकास करना उनके जीवन को आगे ले जायगा। दिव्यांग बच्चों की मानसिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

जन्म के समय शिशु के मानसिक विकास लगभग शुन्य होता है परन्तु जैसे उसकी उम्र बढ़ती है मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है।

जेम्स ड्रॉभेर ने मानसिक विकास को परिभाषित किया है, " व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक छमता एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है।" इस परिभाषा से मानसिक विकास के तथ्यों पर इस प्रकार प्रकाश पड़ता है—

Corresponding Author:  
Prashant Ranjan Dutt  
Assistant Professor, Teachers'  
Training College, Bhagalpur,  
Affiliated to Tilka Manjhi  
Bhagalpur University,  
Bhagalpur, Bihar, India

1. मानसिक विकास का मानसिक छमता तथा मानसिक कार्य से होता है।
2. मानसिक विकास की प्रक्रिया उत्तरोत्तर अर्थात् क्रमिक होती है।
3. मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्ण परिपक्वता आने तक चलती रहती है।

इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाये। उनके मानसिक विकास की अवस्थाएं हर उम्र के आधार पर अलग अलग होती हैं।

#### **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मनोसामाजिक समस्याएँ**

**मानसिक समस्या:** दिव्यांग बच्चे अपने मानसिक समस्या से पीड़ित होते हैं। इस कारण से उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। वह अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते हैं।

**हीन भावना:** अपने दिव्यानाता के कारण वह हीन भावना के शिकार होते हैं, समाज से वह अलग महसूस करते हैं, वह समाज के मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं।

**भेदभाव की भावना:** दिव्यांग बच्चों में भेदभाव की भावना के कारण वह मानसिक रूप से सामान्य रूप से नहीं रहते हैं।

**व्यक्तिगत समस्या:** दिव्यांग बच्चों की व्यक्तिगत समस्या भी रहती है। अपने मानसिक सोच के कारण वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं।

**व्यवहार सम्बन्धी समस्या:** व्यवहार सम्बन्धी समस्या बनी रहती है। वह समाज, परिवार तथा समुदाय में स्वयं को तुरंत समायोजित नहीं कर पाते हैं।

**दैनिक जीवन की समस्या:** उनकी दैनिक जीवन की समस्या अधिक रहती है। अपने दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करना कठिन होता है।

**सामाजिक अलगाव:** दिव्यांग बच्चों को अक्सर अन्य बच्चों या समाज में स्वीकार्यता मिलने में कठिनाई होती है, जिससे वे अकेलापन और असुरक्षा महसूस करते हैं।

**आत्म-संभावना में कमी:** अपने शारीरिक या मानसिक अंतर के कारण, इन बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म-मूल्य कम हो सकता है।

**भेदभाव और कलंक:** समाज में दिव्यांगता को लेकर पूर्वाग्रह और कलंक की वजह से बच्चे मानसिक रूप से आहत हो सकते हैं।

**आक्रोश या व्यवहार समस्याएँ:** कुछ दिव्यांग बच्चों में भावनात्मक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, या व्यवहारिक असामान्यताएँ देखने को मिलती हैं।

**शैक्षिक कठिनाइयाँ:** सीखने की गति, कक्षा का आकार और विशेष संसाधनों की कमी भी मानसिक असंतुलन बढ़ा सकती है।

**परिवार और माता-पिता का मानसिक तनाव:** देखभाल, सेवा प्राप्त करने में कठिनाई, और आर्थिक बोझ जैसे कारण माता-पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं।

**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मनोसामाजिक समास्याओं के प्रबंधन के उपाय**

**समावेशी शिक्षा और सामाजिक समर्थन:** समतामूलक और समावेशी कक्षा वातावरण तथा आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर होता है।

**स्ट्रक्चर और नियमिता:** बच्चों के लिए संरचित दिनचर्या, समय पर स्कूल/खाना/सोने की व्यवस्था उन्हें सुरक्षा और भरोसा देती है।

**मनोवैज्ञानिक सहायता:** नियमित काउंसलिंग, व्यवहार थेरेपी, और माता-पिता के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन जरूरी है।

**मान्यता और पुरस्कार:** छोटे-छोटे प्रयासों की पहचान और उन्हें पुरस्कृत किया जाए तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

**अनुकूलन (Adaptation) और संसाधन:** बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण और उपकरणों का अनुकूलन करना, जैसे व्हीलचेयर-अनुकूल गलियारे, विशेष शिक्षण सामग्री।

**समूह गतिविधियाँ और सामाजिक मेलजोल:** खेल, कला या अन्य सहयोगी गतिविधियों से सामाजिक कौशल सुधरते हैं और अकेलापन कम होता है।

**परिवार का प्रशिक्षण और सहयोग:** दिव्यांग बच्चों को परिवार का सहयोग और प्रशिक्षण मिलता रहना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह निरंतर कुछ सीखता रहे। माता तथा पिता की भूमिका उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।

**नियमिता और संसाधन:** दिव्यांग बच्चों के जीवन शैली में सिखने के प्रति नियमिता आवश्यक है, संसाधन की प्रचुरता भी आवश्यक है किसी भी संसाधन की कमी दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए।

#### **भारत में दिव्यांगता**

**आबादी का एक बड़ा अनुपात:** दिव्यांग लोगों की आबादी को विश्व के सबसे बड़े गैर-मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह के रूप में देखा जाता है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो देश की कुल आबादी 2.21% है।
- हालाँकि विश्व बैंक (World Bank) द्वारा जारी एक अनुमान में देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई गई है।

**राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव:** भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य ही ऐसे रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

**अतिरिक्त बाधाएँ:** भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों से प्रभावित होने की संभावनाएँ भी अधिक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आबादी के 45% लोग निरक्षर हैं, जो उनके लिये बेहतर और अधिक सुविधा-संपन्न जीवन के निर्माण प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है। यह चुनौती राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में और जटिल हो जाती है।

**दिव्यांगता और गरीबी:** दिव्यांगता से जुड़ा डेटा गरीबी और दिव्यांगता के बीच पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है। दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीब परिवारों में हुआ।

- इसका एक बड़ा कारण यह है कि गरीब परिवारों में गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है, ऐसी प्रणालीमत कमियाँ गर्भवस्था के दौरान बड़ी चिकित्सा जटिलताओं का कारण बनती हैं और कई मामलों में इन कमियों के कारण बच्चे जन्मजात दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसके अनुसार, देश में दिव्यांग लोगों की कुल आबादी के 69% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।

- एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में विश्व में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी लगभग 1 बिलियन है और इनमें से लगभग 80% लोग विश्व के अलग-अलग विकासशील देशों में रहते हैं।

### चुनौतियाँ

**संस्थागत अड्डों:** वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पुनर्वास सेवाओं की पहुँच, उपलब्धता और सदुपयोग में भी कमी देखी गई है।

- ये कारक दिव्यांग लोगों के लिये निवारक और उपचारात्मक ढाँचा सुनिश्चित करने में बाधक बने हुए हैं।

**शिथिल कार्यान्वयन:** सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिये कई सराहनीय पहलों की शुरुआत की गई है।

- हालाँकि सरकार द्वारा सुरक्ष्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के तहत सभी मंत्रालयों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अपने भवनों/इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिये जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अनुकूल नहीं हैं।
- इसी प्रकार 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु वर्तमान में इनमें से अधिकांश पद खाली हैं।
- गैरतलब है कि भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन, 2006 (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD) का भी हिस्सा है।

**सामाजिक नज़रिया:** समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को 'सहानुभूतिपूर्ण' और 'दूसरा' की नज़र से देखता है, जिससे उन्हें सामान्य से अलग या 'अन्य' (Other) के रूप में देखे जाने और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

- इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्यधारा से उनके अलगाव को बढ़ावा मिलता है।

### आगे की राह

**समुदाय-आधारित पुनर्वास (CBR) दृष्टिकोण:** CBR प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहाँ सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं।

- समुदाय-आधारित पुनर्वास पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है, साथ ही उन्हें सभी अवसरों और सेवाओं की नियमित पहुँच सुलभ हो तथा उन्हें समुदाय में पूर्ण एकीकरण की स्थिति प्राप्त हो सके।

**दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में बढ़ि:** सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता या सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिये व्यापक सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिये।

- इस संदर्भ में मुख्यधारा की मीडिया ने फिल्मों (जैसे-तारे जर्मी पर, बर्फी, सितारे जर्मी पर, आदि) के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिये सही मार्ग चुना है।

**राज्यों के साथ साझेदारी:** गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में व्यापक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उन्नत एवं सुलभ पहुँच सुनिश्चित करना दिव्यांगता की समस्या से निपटने के प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तरभ हैं।

- दिव्यांगता की समस्या से निपटने के इन दोनों कारकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक निवेश करना चाहिये। गैरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य को राज्य सूची में शामिल किया गया है।

### मज़बूत इच्छाशक्ति और अकृत्रिम मंशा

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद से इस अधिनियम के तहत निर्धारित आरक्षण को लागू करने में गड़बड़ी से जुड़े कई मामले देखने को मिले हैं।
- कोई भी नया कानून अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब दिव्यांग लोगों को उनके लिये आरक्षित पदों पर नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में मज़बूत इच्छाशक्ति दिखाई जाए।
- इसके साथ ही भारत में एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है, जहाँ किसी भी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते समय दिव्यांग लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए।

### निष्कर्ष

दिव्यांग बच्चों की मनोसामाजिक समस्याएं कई स्तरों पर जुड़ी होती हैं— व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। इनके प्रभावशाली प्रबंधन के लिए समावेशी शिक्षा, सकारात्मक समर्थन, और विशेष उपकरणों व सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सक्रिय बन सकें।

'दिव्यांग' या 'डिफरेंटिटी एबलिट' जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास किया जाए जहाँ किसी की दिव्यांगता पर ध्यान दिये बगैर सभी का स्वागत और सम्मान किया जाता है। हेलेन कलर के शब्दों में, "जब ऊंची उड़ान की उमंग मन में हो, तो कोई रोगकर संतुष्ट नहीं हो सकता।"

### सन्दर्भ सूची

- कर, चंतामणि: असाधारण बच्चे, उनका मनोविज्ञान और शिक्षा, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 1992।
- मंगल, एस.के. एवं मंगल, शुभ्रा: समावेशी शिक्षा का सृजन, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। विकलांग व्यक्ति (समाज अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, भारत सरकार।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999। भारत सरकार।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2009)। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत सरकार।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। (2016)। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। भारत सरकार।
- पाणिग्रही, बंदना: भारत में समावेशी शिक्षा के लिए नीतियाँ और व्यवहार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (ICJRT), खंड 12, अंक 4, अप्रैल 2024।
- सिद्धीकी, हिना: समावेशी शिक्षा, अग्रवाल प्रकाशन समूह, आगरा 2020।
- सिंह, अरुण कुमार: शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पटना 1994।
- योजना: अंक 4, अप्रैल 2013, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।